संख्या– 401 / 11–6–10–एम(22) / 2011

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2011

विषयः मनोरंजन / वाटर पार्क पर आमोद कर की दर में वित्तीय वर्ष 2011–12 में एकमुश्त समाधान योजना लागू किया जाना।

महोदय,

मनोरंजन कर के महत्वपूर्ण साधन मनोरंजन / वाटर पार्क पर अधिसूचना संख्या–1672 / 11–क0नि0–6–2009–एम (92) / 2009 दिनांक 04 सितम्बर, 2009 के अनुसार 25 प्रतिशत मनोरंजन कर की दर निर्धारित की गयी है। मनोरंजन / वाटर पार्क **संचालकों द्वारा साप्ताहिक मनोरंजन कर की देयता की गणना एवं तत्संबंधी विवरण पत्रों के रख–रखाव में अतिरिक्त कर्मियों की आवश्यकता के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्च एवं अन्य कारणों से एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने की मॉग की गयी। मनोरंजन / वाटर पार्क के वृहद् क्षेत्रफल होने के कारण दर्शकों एवं प्रवेशार्थियों** की जॉच करने में कठिनाई आने एवं पार्को में करापवंचन की संभावना को रोकने तथा इस सेवा पर कर देयता को और अधिक सरलीकृत करने के उद्‌देश्य से मनोरंजन / वाटर पार्क संचालकों पर एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने की आवश्यकता समझी गयी है।

2. अतः वित्तीय वर्ष 2010–11 में मनोरंजन / वाटर पार्क सेवा पर कराधान के संबंध में सम्यक् विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में अर्थात् एक वर्ष की अवधि हेतु समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करने वाले मनोरंजन / वाटर पार्क स्वामी / संचालक द्वारा **वित्तीय वर्ष 2010–11 के विभिन्न माहों हेतु देय मनोरंजन कर की सकल धनराशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए** निम्नलिखित शर्तों के अधीन मनोरंजन / वाटर पार्क सेवा पर कराधान संबंधी एकमुश्त समाधान योजना लागू की जाती है :

(1) वित्तीय वर्ष 2010–11 में किसी मनोरंजन / वाटर पार्क स्वामी द्वारा मनोरंजन कर के रूप में अदा की गयी धनराशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ एकमुश्त समाधान योजना का स्वैच्छिक विकल्प जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(2) यह समाधान योजना वित्तीय वर्ष 2011–12 की अवधि हेतु लागू होगी।

(3) इस समाधान योजना में दिनांक 30–06–2011 तक की अवधि तक मनोरंजन / वाटर पार्क स्वामी को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष समाधान योजना स्वीकार करने सम्बन्धी

संख्या– 401/11–6–10–एम(22)/2011

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2011

विषयः मनोरंजन/वाटर पार्क पर आमोद कर की दर में वित्तीय वर्ष 2011–12 में एकमुश्त समाधान योजना लागू किया जाना।

महोदय,

मनोरंजन कर के महत्वपूर्ण साधन मनोरंजन/वाटर पार्क पर अधिसूचना संख्या–1672/11–क0नि0–6–2009–एम (92)/2009 दिनांक 04 सितम्बर, 2009 के अनुसार 25 प्रतिशत मनोरंजन कर की दर निर्धारित की गयी है। मनोरंजन/वाटर पार्क **संचालकों द्वारा साप्ताहिक मनोरंजन कर की देयता की गणना एवं तत्संबंधी विवरण पत्रों के रख–रखाव में अतिरिक्त कर्मियों की आवश्यकता के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्च एवं अन्य कारणों से एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने की मॉग की गयी। मनोरंजन/वाटर पार्क के वृहद् क्षेत्रफल होने के कारण दर्शकों एवं प्रवेशार्थियों** की जॉच करने में कठिनाई आने एवं पार्को में करापवंचन की संभावना को रोकने तथा इस सेवा पर कर देयता को और अधिक सरलीकृत करने के उद्देश्य से मनोरंजन/वाटर पार्क संचालकों पर एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने की आवश्यकता समझी गयी है।

2. अतः वित्तीय वर्ष 2010–11 में मनोरंजन/वाटर पार्क सेवा पर कराधान के संबंध में सम्यक् विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में अर्थात् एक वर्ष की अवधि हेतु समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करने वाले मनोरंजन/वाटर पार्क स्वामी/संचालक द्वारा **वित्तीय वर्ष 2010–11 के विभिन्न माहों हेतु देय मनोरंजन कर की सकल धनराशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए** निम्नलिखित शर्तों के अधीन मनोरंजन/वाटर पार्क सेवा पर कराधान संबंधी एकमुश्त समाधान योजना लागू की जाती है :

(1) वित्तीय वर्ष 2010–11 में किसी मनोरंजन/वाटर पार्क स्वामी द्वारा मनोरंजन कर के रूप में अदा की गयी धनराशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ एकमुश्त समाधान योजना का स्वैच्छिक विकल्प जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(2) यह समाधान योजना वित्तीय वर्ष 2011–12 की अवधि हेतु लागू होगी।

(3) इस समाधान योजना में दिनांक 30–06–2011 तक की अवधि तक मनोरंजन/वाटर पार्क स्वामी को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष समाधान योजना स्वीकार करने सम्बन्धी

संख्या– 401 / 11–6–10–एम(22) / 2011

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2011

विषयः मनोरंजन / वाटर पार्क पर आमोद कर की दर में वित्तीय वर्ष 2011–12 में एकमुश्त समाधान योजना लागू किया जाना।

महोदय,

मनोरंजन कर के महत्वपूर्ण साधन मनोरंजन / वाटर पार्क पर अधिसूचना संख्या–1672 / 11–क0नि0–6–2009–एम (92) / 2009 दिनांक 04 सितम्बर, 2009 के अनुसार 25 प्रतिशत मनोरंजन कर की दर निर्धारित की गयी है। मनोरंजन / वाटर पार्क **संचालकों द्वारा साप्ताहिक मनोरंजन कर की देयता की गणना एवं तत्संबंधी विवरण पत्रों के रख–रखाव में अतिरिक्त कर्मियों की आवश्यकता के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्च एवं अन्य कारणों से एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने की मॉग की गयी। मनोरंजन / वाटर पार्क के वृहद् क्षेत्रफल होने के कारण दर्शकों एवं प्रवेशार्थियों** की जॉच करने में कठिनाई आने एवं पार्को में करापवंचन की संभावना को रोकने तथा इस सेवा पर कर देयता को और अधिक सरलीकृत करने के उद्‌देश्य से मनोरंजन / वाटर पार्क संचालकों पर एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने की आवश्यकता समझी गयी है।

2. अतः वित्तीय वर्ष 2010–11 में मनोरंजन / वाटर पार्क सेवा पर कराधान के संबंध में सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में अर्थात् एक वर्ष की अवधि हेतु समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करने वाले मनोरंजन / वाटर पार्क स्वामी / संचालक द्वारा **वित्तीय वर्ष 2010–11 के विभिन्न माहों हेतु देय मनोरंजन कर की सकल धनराशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए** निम्नलिखित शर्तों के अधीन मनोरंजन / वाटर पार्क सेवा पर कराधान संबंधी एकमुश्त समाधान योजना लागू की जाती है :

(1) वित्तीय वर्ष 2010–11 में किसी मनोरंजन / वाटर पार्क स्वामी द्वारा मनोरंजन कर के रूप में अदा की गयी धनराशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ एकमुश्त समाधान योजना का स्वैच्छिक विकल्प जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(2) यह समाधान योजना वित्तीय वर्ष 2011–12 की अवधि हेतु लागू होगी।

(3) इस समाधान योजना में दिनांक 30–06–2011 तक की अवधि तक मनोरंजन / वाटर पार्क स्वामी को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष समाधान योजना स्वीकार करने सम्बन्धी

प्रार्थना–पत्र का विकल्प प्रस्तुत करने का समय दिया जाएगा, जिस प्रार्थना–पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट आवश्यक परीक्षणोपरान्त उसे स्वीकार करते हुए इस सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2010–11 में अदा की गयी धनराशि से 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर समाधान की तिथि से पूर्व जमा की गयी धनराशि को वार्षिक समाधान की धनराशि में से घटाकर वर्ष के शेष माहों के लिए मासिक किश्तें निर्धारित कर दी जायेंगी।

उदाहरण के लिए वर्ष 2010–11 में किसी मनोरंजन/वाटर पार्क स्वामी द्वारा ₹ 12,000.00 का मनोरंजन कर अदा किया गया तो उस पर 10 प्रतिशत अर्थात ₹ 1,200.00 की वृद्धि करके ₹ 13,200.00 का कर वार्षिक समाधान धनराशि के रूप में नियत किया जायेगा। यदि किसी मनोरंजन/वाटर पार्क स्वामी द्वारा समाधान का विकल्प जुलाई, 2011 से लिया जाता है एवं उसके द्वारा माह अप्रैल से जून तक कुल ₹ 1,000.00 जमा किया गया हो तो माह अप्रैल से जून तक जमा किये गये मनोरंजन कर अर्थात् ₹ 1,000.00 को घटाते हुए, जुलाई से मार्च, 2012 तक 09 माहों के लिए कुल समाधान योग्य कुल धनराशि ₹ 12,200.00 की मासिक किश्तें नियत की जायेगी। मनोरंजन/वाटर पार्क स्वामी पूरी धनराशि एकमुश्त अथवा नियत मासिक किश्तों में जमा कर सकता है।

(4) यदि मासिक किश्तों का विकल्प लिया जाता है, तो प्रत्येक माह की मासिक किश्त अग्रिम रूप में उस माह की 20 तारीख से पूर्व जमा किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त तिथि के पश्चात् देय धनराशि पर नियमानुसार ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

(5) उक्त समाधान योजना स्वीकार करने वाले मनोरंजन/वाटर पार्क स्वामियों को सामयिक विवरण प्रस्तुत करने, उनके रखरखाव से छूट मिलेगी एवं निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किये जा रहे सर्वेक्षण/निरीक्षण से मुक्ति मिल सकेगी।

(6) एकमुश्त समाधान योजना की उक्त धनराशि अदा करने की अवधि में मनोरंजन/वाटर पार्क का स्वामी/संचालक वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रवेश हेतु दर्शकों से वसूल की गयी समग्र धनराशि की अधिकतम सीमा से अधिक प्रवेश शुल्क/अन्य शुल्क वसूल नहीं करेगा।

(7) मनोरंजन/वाटर पार्क का स्वामी यदि अतिरिक्त सुविधाओं/सेवाओं में बढ़ोत्तरी करके स्वामी द्वारा समाधान योजना स्वीकार करने की अवधि में वसूल की जाने वाली धनराशि में बढ़ोत्तरी करता है, तो उस बढ़ोत्तरी के समानुपातिक रूप से नियमानुसार 25 प्रतिशत अतिरिक्त मनोरंजन कर देय होगा।

(8) इस समाधान योजना के अन्तर्गत विकल्प प्रस्तुत करने वाला मनोरंजन/वाटर पार्क स्वामी पर उ0प्र0 आमोद एवं पणकर नियमावली, 1981 के नियम 24 (1) के प्राविधान लागू नहीं होगें ।

(9) मनोरंजन/वाटर पार्क स्वामी द्वारा यदि समाधान योजना का विकल्प लेने का प्रार्थना पत्र दिया है एवं उसके प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है, तो स्वीकार की गयी समाधान योजना को वापस लेने के प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

(10) ऐसे मनोरंजन/वाटर पार्क स्वामी जिनके द्वारा उक्त समाधान योजना का विकल्प नहीं लिया गया है। उन मनोरंजन/वाटर पार्क स्वामी /संचालकों पर पूर्व से निर्धारित नियमों एवं प्राविधानों के अनुसार करारोपण किया जायेगा।

3. अतः अनुरोध है कि समाधान योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए मनोरंजन/वाटर पार्क सेवा पर कराधान के संबंध में उपर्युक्त निर्देशानुसार समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना शासन एवं आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

3/4/21

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या- (1)/11-6-10, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि उक्त समाधान योजना को लागू किये जाने हेतु एक 'स्टैण्डर्ड प्रोफार्मा' तैयार कराकर समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को उपलब्ध करा दें एवं विभाग के जनपदीय अधिकारियों को गणना हेतु प्रशिक्षित करते हुए 'सेन्सटाइज' (सुग्राहीकृत) कर दें, ताकि समान रूप से समयबद्ध तरीके से योजना का लाभ समस्त सम्बन्धित को प्राप्त हो सके।

2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।